थाईलैंड के 34 जमातियों की रिहाई का आदेश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 जुलाई।

निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को थाइलैंड के 34 जमातियों की रिहाई के आदेश दिए। इन सभी पर छह-छह हजार रुपए का भी जुर्माना लगाया गया। अदालत के निर्देश पर जुर्माने की यह रकम पीएम केयर फंड में जमा की जाएगी। इससे पहले विदेशी जमातियों ने जज के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है। उन्होंने आपदा प्रबंधन कानून और भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं की अवहेलना का आपराध बी स्वीकार किया।

सभी पर लगा छह-छह हजार का जुर्माना, सात अन्य पर चलेगी अदालती कार्यवाही

अदालत के निर्देश पर जुर्माने की यह रकम पीएम केयर फंड में जमा की जाएगी

इससे पहले अदालत ने गुरुवार को 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को दिन भर साकेत अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा दी थी

साकेत जिले की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गुरमोहिना कौर ने जमातियों की रिहाई के आदेश देते हुए कहा कि इस मामले में थाईलैंड के सात अन्य जमातियों पर अदालती कार्यवाही चलेगी क्योंकि इन पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इसी के साथ अब तक 36 देशों के करीब 700 विदेशी नागरिकों को अदालत से जमानत मिल चुकी है। इस मामले में आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। पुलिस ने जून में 36 देशों के 956 नागरिकों के खिलाफ 59 आरोप पत्र दायर किए थे जिनमें पूरक आरोपपत्र भी शामिल हैं।

इससे पहले अदालत ने गुरुवार को 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को दिन भर साकेत अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा दी थी। इसके साथ ही विभिन्न विदेशी जमातियों पर 5000 से 10000 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया था। ये सभी विदेशी जमाती चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, फिजी और बाकी अन्य देशों से मरकज में शामिल होने भारत आए थे।

बेरोजगारी से परेशान मजदूर ने की आत्महत्या

बांदा, 17 जुलाई (भाषा)।

बांदा जिले के इंगुआ गांव में बेरोजगारी से परेशान एक मजदूर ने कथित तौर पर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली।

मरका थाना पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि इंगुआ गांव के जंगल में एक युवक का शव बृहस्पतिवार को पेड़ से लटका मिला। उसकी पहचान मनोज (22) के तौर पर हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी घोषित होने के बाद वह मई में मुंबई से लौटा था और बुधवार दोपहर से लापता था। पुलिस ने मृत मजदूर के भाई के हवाले से बताया कि गांव में उसे काम नहीं मिल रहा था।

टेम्पो-बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में दंपति सहित छह लोगों की मौत

जयपुर, 17 जुलाई (भाषा)।

राजस्थान के सिरोही जिले के कोतवाली सिरोही थाना क्षेत्र में शुक्रवार को टेम्पो और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में टेम्पो में सवार दंपति सहित छह लोगों की मौत हो गई।

थानाधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि सिरोही-बरलूड रोड पर गोयली गांव के पास एक टेम्पो और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत में टेम्पो में सवार दंपति सहित छह लोगों की मौत हो गई।

सजा माफी के राज्यपाल के अधिकार की सीमा का परीक्षण करेगा संविधान पीठ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली 17 जुलाई।

सजायाफ्ता कैदियों की उनके अपराध की गंभीरता को देखे बिना राज्य सरकारों द्वारा सजा माफ करने की कानूनी वैधता का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली तीन जजों की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश से इस मुद्दे पर राय के लिए सात जजों की संविधान पीठ का गठन करने की सिफारिश कर दी। संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को सजायाफ्ता कैदी की सजा घटाने या माफ करने का अधिकार देता है।

संविधान पीठ तय करेगी कि क्या सजा माफी के अधिकार का इस्तेमाल गुण-दोष का परीक्षण किए बिना रेवड़ी बांटने की तरह किया जा सकता है। संविधान पीठ देखेगी कि अगर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433-ए, मौत की सजा वाले अपराधी को न्यूनतम 14 साल कैद की सजा भुगते बिना रिहाई से रोकती है तो फिर राज्य सरकार की कोई नीति कानून की इस मंशा को उलट कैसे सकती है?

हरियाणा के उम्रकैद की सजा पाए एक अपराधी को राज्यपाल ने 14 साल की सजा काटने से पहले ही उसके बुढ़ापे को आधार बनाकर रिहा कर दिया था। उसकी पैरोल पर रिहाई की फरियाद पर जब सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था तब उसे अवगत कराया गया था कि कैदी को राज्यपाल ने सजा माफ कर रिहा करा दिया है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
CIN : L34103DL1981PLC011375
पंजीकृत कार्यालय: प्लाट नं01, नेलसन मंडेला रोड, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
Tel: 011- 46781000, Fax: 011- 46150275/76
www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि 30 जून, 2020 को समाप्त हुई तिमाही के लिये कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक कुवार, 29 जुलाई, 2020 को आयोजित की जाएगी।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कम्पनी की वेबसाइट (www.marutisuzuki.com) या बी एस ई लिमिटेड (www.bseindia.com) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर सम्पर्क करें।

वास्ते मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड
संजीव छोबर
उप-अध्यक्ष एवम् कम्पनी सचिव
नई दिल्ली
17 जुलाई, 2020

शैक्षिक संचार संकाय
आई.ग्नू.सी. कैम्पस, अकबर लेन/मैदान गढ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110067, वेबसाइट www.cec.nic.in
फोन नं0 : 011-24128418-19-20 फैक्स नं0 : 011-24128416

विज्ञापन

दिनांक 29.02.2020 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2020 में निहित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.07.2020 तक बढ़ा दी गई है। पदों और अन्य नियमों और शर्तों के विवरण के लिए कृपया 29.02.2020 को दिया गया विज्ञापन और सीईसी की वेबसाइट www.cec.nic.in > Quick links> Archive> Career> Archives - vacancies for various post on regular basis का संदर्भ लें।

पहले से आवेदन कर चुके प्रार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सीईसी

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
सीआईएन: L74899DL1964GOI004281
पंजी. कार्यालय: "बीएचईएल हाउस" सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049
टेली: 011-66337000, फैक्स: 011-66337428
वेबसाइट: www.bhel.com, ई-मेल: shareholderquery@bhel.in

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को सूचित करने हेतु)
विषय: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि नियम 2016, यथा संशोधित, के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। उन शेयरधारकों को नोटिस दिया जाता है जिन्होंने कंपनी द्वारा 2012-13 (अंतिम लाभांश) से लगातार घोषित लाभांशों को नहीं भुनाया है और अगर वे 21 अक्टूबर, 2020 तक लाभांश का दावा नहीं करते हैं तो उनके अंतर्निहित शेयरों के आईईपीएफ में स्थानांतरण हेतु कार्यवाही की जाएगी। जिन शेयरधारकों के शेयर स्थानांतरण के लिए दायी है, उनके नाम, शेयर फोलियो नम्बर या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी कम्पनी की वेबसाइट **http://www.bhel.com/index.php/share_info** पर उपलब्ध है। नियमों में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, कम्पनी ने आईईपीएफ खाते में अंतरण के योग्य सभी शेयरों के बारे में संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है।

शेयरधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे दावा न किये गये लाभांश हेतु उपरोक्त तिथि तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा इन्हें भुना सकते हैं। इसके लिए वे सभी अपेक्षित दस्तावेजों समेत एक आवेदन पत्र हमारे रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट, **मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.** के पास उपरोक्त तिथि तक अवश्य भेजें। अगर शेयर धारक उपरोक्त तिथि तक लाभांश हेतु अपना दावा प्रस्तुत नहीं करते अथवा इन्हें नहीं भुनाते है तो कम्पनी पूर्वोक्त नियमों में उल्लेखित सम्यक प्रक्रिया अपनाते हुए 2012-13 (अंतिम लाभांश) के दावा न किये गये लाभांश के साथ, बिना किसी अगली सूचना के इन शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगी।

कृपया ध्यान दें:-

1) शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते में हस्तांरित किये गये दावा न किये गये लाभांश और शेयर एवं उन पर उपार्जित लाभ सहित, यदि कोई हो, नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा करके वापस ले सकते हैं।
2) इस मामले में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु शेयरधारक कृपया सम्पर्क करें:- रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट- मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., श्री एम.एस. मधुसुदन, सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32, गचीबावली, फाईनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032, **दूरभाष:** 040-67162222; **फैक्स:** 040-23001153; **ईमेल:** **madhusudhan.ms@kfintech.com**, **einward.ris@kfintech.com**, **वेबसाइट:** **www.kfintech.com**.
3) **शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि:-**
क) डीमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डी.पी.) से संपर्क कर सकते हैं ताकि एनईसीएस/ईसीएस सुविधा का लाभ उठा सकें या पता/बैंक डिटेल्स/एनईसीएस/ईसीएस मैंडेट को यदि कोई हो तो अपडेट कर सकते हैं।
ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक पता/बैंक विवरण, एनईसीएस/ईसीएस मैंडेट में किसी भी अपडेशन के लिए हमारे आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।
ग) कंपनी की ग्रीन पहल का समर्थन करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ईमेल आई.डी. को अपने डी.पी. के साथ (यदि शेयर डीमेट फॉर्म में हो) तथा हमारे आरटीए के साथ ईमेल: **einward.ris@kfintech.com** पर (यदि शेयर भौतिक रूप में हो) पंजीकृत करें।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
हस्ता/-
राजीव कालड़ा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.07.2020

ओरिएन्ट बेल लिमिटेड
सीआईएन : L14101UP1977PLC021546
पंजीकृत कार्यालय : 8, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकन्दराबाद-203205, जिला बुलन्दशहर, उ.प्र.
कॉर्पोरेट कार्यालय : आइरिस हाउस, 16, बिजिनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110046
दूरभाष : +91-11-47119100, ई-मेल आईडी : investor@orientbell.com
Website: www.orientbell.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से सम्बन्धित सूचना

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) एवं भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि :

1. सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा कारपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अन्य सभी लागू कानूनों और परिपत्रों के अनुपालन में सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए कंपनी की 43वीं एजीएम (वार्षिक आम बैठक) गुरुवार, 13 अगस्त, 2020 को 11:00 बजे पूर्वाह्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित है।
2. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात 8, इण्डस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद-203 205, जिला बुलंदशहर (उ.प्र.) को एजीएम के उद्देश्य हेतु कार्यक्रम स्थल माना जाएगा।
3. प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी के उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.orientbell.com के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।
4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से 7 अगस्त, 2020 से 13 अगस्त, 2020 (दोनों दिन समावेशी) तक बंद रहेगा।
5. कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों के सन्दर्भ में, कंपनी एनएसडीएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है और इस प्रकार के मतदान के मध्याम से प्रकार्यों का लेन-देन किया जा सकता है। इसे निम्नानुसार नोट किया जा सकता है:
(अ) जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि अर्थात 6 अगस्त, 2020 को भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर हैं वे इस प्रकार की रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सूचना में निर्धारित के अनुसार प्रकार्यों पर अपने मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं।
कोई ऐसा व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सूचना भेजने के पश्चात कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 6 अगस्त, 2020 को शेयर धारण करता है, वह अपने फोलियो नं./डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in अथवा admin@mcsregistrars.com पर ई-मेल भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि उसने पहले ही ई-मतदान हेतु एनएसडीएल के साथ पंजीकरण करा लिया है तो वह मतदान करने हेतु अपने वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है।
(ब) रिमोट ई-वोटिंग सोमवार, 10 अगस्त, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) प्रारम्भ होगी और बुधवार, 12 अगस्त, 2020 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इसके पश्चात मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल बन्द एनएसडीएल द्वारा बन्द कर दिया जायेगा।
(स) उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
(द) जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग तो ले सकते हैं किन्तु वे बैठक में पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।
(य) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर या लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड है वे रिमोट ई-वोटिंग या बैठक में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
6. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक के दौरान अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
7. बोर्ड ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के संचालन के लिए सुश्री आशु गुप्ता, कंपनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
8. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप या डीमैट फॉर्म में शेयर हैं और उन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए निम्नलिखित तरीके से यूजर-आईडी और पासवर्ड खरीद सकते हैं:
(अ) यदि शेयर भौतिक माध्यम में है तो अपने फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कॉपी (आगे व पीछे की), पैन (पैन कार्ड की स्कैन्ड प्रति स्व प्रमाणित), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) के विवरण सहित कम्पनी के पास investor@orientbell.com पर लिखकर।
(ब) यदि शेयर डीमैट माध्यम में है तो डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) के विवरण सहित कम्पनी के पास investor@orientbell.com पर लिखकर।
9. जिन सदस्यों के भौतिक प्रारूप में शेयर हैं, जिनके ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे कम्पनी से investor@orientbell.com पर सम्पर्क कर या कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट ("आरटीके"), एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेन्ट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 020, दूरभाष नं. 011-41406149 से admin@mcsregistrars.com पर सम्पर्क कर ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर पंजीकृत करा सकते हैं और जिन सदस्यों के पास शेयर डीमैट प्रारूप में हैं वे अपने सम्बद्ध डिपॉजिटरी भागीदारों के साथ अपने ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते हैं।
10. किसी पूछताछ के लिए सदस्य अधोहस्ताक्षरी से +91-11-47119100 पर सम्पर्क कर सकते हैं या अधोहस्ताक्षरी को investor@orientbell.com पर लिख सकते हैं या अपनी पूछताछ कॉर्पोरेट कार्यालय, आइरिस हाउस, 16, बिजिनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली-110046 पर भेज सकते हैं।

कृते ओरिएन्ट बेल लिमिटेड
ह./-
योगेश मेंदीरत्ता
कम्पनी सचिव एवं प्रमुख-विधिक

नई दिल्ली
17 जुलाई, 2020

प्ररूप संख्या आईएनसी-25ए
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41
के मामले में
और
उत्तराखंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड
(CIN:U72900DL1989PLC037946)
जिसका पंजीकृत कार्यालय: **बी-4/3183, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070**
में स्थित है, के मामले में,
.....आवेदक

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी को संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए दिनांक **14 जुलाई 2020** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के अधीन केंद्र सरकार को आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण, यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की संभावना है, तो वह व्यक्ति, इसका कारण देते हुए आपत्ति हलफनामा में उल्लेख करते हुए, जिसमें उनके हित/विपक्ष के आधार हों, इस सूचना के छपने के चौदह दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कंपनी को पंजीकृत पते पर **बी-4/3183, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070** में भी भेज दे।

कृते **उत्तराखंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड**
हस्ता/-
सुनील कुमार गुलाटी
(निदेशक)
DIN:00014534

तिथि: 17.07.2020
स्थान: नई दिल्ली

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लिमिटेड
CIN: L74899DL1962PLC003634
पंजी. एवं एच.ओ. 46, दोहिल चैम्बर्स, 4था तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
Ph.: 91-11-46579476
E-mail: admin@everesttools.com
Website: http://www.everesttools.com

बोर्ड की बैठक की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 तथा लागू होने वाले अन्य विनियमनों के साथ पठित विनियमन 29 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक 24 फरवरी, 2020 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जायेगी, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त चौथी तिमाही के लिये ऑडिटर के रिपोर्ट के साथ अंकेक्षित वित्तीय परिणामों तथा एजेण्डा में वर्णित किसी अन्य व्यवसायों पर विचार, अनुमोदन कर अभिलेख में लिये जाएंगे।

यह सूचना जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, उन स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia.com तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.everest-tools.com पर भी उपलब्ध है।

हिन्दुस्तान एवरेस्ट टूल्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
सोनम गुप्ता
कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 17 जुलाई 2020

संख्या 1/1/2019-प्रशासन/एपटेल-
विद्युत अपीलीय अधिकरण
वैबसाइट: www.aptel.gov.in
कोर-4, सातवीं मंजिल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दिनांक जुलाई, 2020

रिक्ति परिपत्र

विद्युत अपीलीय अधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर रजिस्ट्रार पद हेतु नियुक्ति प्रस्ताव है।

संख्या	पदों के नाम	पदों की संख्या	ग्रेड-पे (पूर्व-संशोधित)	संशोधित
1	रजिस्ट्रार (APTEL) (प्रत्याशित)	01 (एक)	Pay Band-4 Rs. 37400-67000/- plus Grade Pay of Rs. 10000/-	Level-14 (144200-218200)

2. आवेदन, निर्धारित प्रोफार्मा में (रिक्ति परिपत्र अनुलग्नक के साथ सभी मामलों में ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर उपलब्ध), रिक्तियों के **रोजगार समाचार में परिपत्र की प्रकाशन तिथि से छह सप्ताह के भीतर** उचित चैनल के माध्यम से उपरोक्त पते पर रजिस्ट्रार, विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल को प्रेषित किया जा सकता है। विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण रिक्ति की स्थिति में परिवर्तन या किसी अन्य परिवर्तन करने का अधिकार रखता है।
3. रिक्ति परिपत्र को अनुलग्नक के साथ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण की वेबसाइट www.aptel.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(हस्ताक्षर)
(अजय कुमार)
निदेशक प्रशासन

davp 34122/11/0003/2021

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. **(GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय: तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि - 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com** ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (**31.12.2018** की अवधि तक **NPA** खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।.

प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Jind: MAL-956, MWS-295, **Narwana (HR):** MOS-10
द्वितिय नीलामी की तिथि: 28.07.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., SCF No. 26, Ground Floor, Diwankhana Market, Near Rani Talab, Jind - 126102
प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Sirsa-Haryana: MAL-3694, MWS-852, 853, **Mandi Dabwali(HR):** MAL-2361, MBL-2334, MSL-5468, 5750, MUL-443, 445, **Rania - (HR):** MUL-1028, **Ellanabad (HR):** MUL-1197, MWS-308
द्वितिय नीलामी की तिथि: 29.07.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., Ground Floor, H.No. 238/1, Space Empire, Ram Colony, Barnala Road, Sirsa, Haryana - 125055
प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Rohtak: MAL-706, MUL-1679, 1978
द्वितिय नीलामी की तिथि: 30.07.2020, Auction Centre: First Floor, City Centre, Above Oriental Bank Of Commerce, Opp. City Police Station, Rohtak, Haryana - 124 001
प्रथम नीलामी की तिथि: 27.07.2020
Hisar-Haryana: MAL-1570, **Hisar-Sirsa Road:** MUL-245, **Hansi-(HR):** MUL-1033, 1057, 1095, **Adampur(HR):** MUL-1446
द्वितिय नीलामी की तिथि: 31.07.2020, Auction Centre: Muthoot Finance Ltd., First Floor, Shyam Complex, Above Diamond Automobile, Delhi Road, Hisar, Haryana - 125005

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी **दुसरी नीलामी की तारीख** को क्रमशः **दिये गए नीलामी केंद्र** में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थिति मेंजहा इस सब के बावजूद कथित गहनो की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर-II, नई दिल्ली - 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document.

SHRIRAM
Transport Finance Company Limited
A WINNING RELATIONSHIP

Shriram Transport Finance Company Limited

Shriram Transport Finance Company Limited (**"Company"**), a public limited company was incorporated under the Companies Act, 1956 pursuant to a certificate of incorporation dated June 30, 1979, issued by the Registrar of Companies, Chennai, Tamil Nadu (registered as a deposit taking Non-Banking Financial Company within the meaning of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)). For details regarding change in the registered office, please see *"History and Corporate Structure"* on page 92 of the LOF.

Corporate Identification Number: L65191TN1979PLC007874

Registered Office: Mookambika Complex, 3rd Floor, No. 4, Lady Desika Road, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu- 600 004 **Tel No:** +91 44 2499 0356; **Corporate Office:** Wockhardt Towers, West Wing, Level-3, C-2, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 **Tel No:** + 91 22 4095 9595; **Website:** www.stfc.in **Compliance Officer and Contact Person:** Mr. Vivek Madhukar Achwal; **E-mail:** stfcricomp@stfc.in

Corrigendum – Notice to Investors:

This corrigendum is with respect to the letter of offer dated July 7, 2020 (**"LoF"**). Please note:

On page 415 of the LoF, point 16 shall stand substituted as follows: "Any approval obtained from the RBI, as required, where a successful Application will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Eligible Equity Shareholder (along with persons acting in concert) in our Company, to exceed applicable limits prescribed by the RBI or under FEMA. In terms of applicable RBI guidelines, prior approval of the RBI is required for acquisition of 26% or more of the issued and paid-up share capital of the Company. Eligible Equity Shareholders must send a copy of the approval from any regulatory authority, as may be required, or obtained from the RBI to the Registrars at https://rights.kfintech.com/shriram or stfc.rights@kfintech.com;"

On page 421 of the LoF, point (w) shall stand substituted as follows: "Applicants must submit a copy of the approval obtained from any regulatory authority, as may be required, with the Application and send a copy of such approval to the Registrars at https://rights.kfintech.com/shriram or stfc.rights@kfintech.com, in case the Application and the resultant Rights Equity Shares will result in the aggregate shareholding or total voting rights of the Applicant (along with persons acting in concert) in our Company, to be in excess of applicable limits prescribed by the RBI or under FEMA. In terms of applicable RBI guidelines, prior approval of the RBI is required for acquisition of 26% or more of the issued and paid-up share capital of the Company."

Accordingly, the LoF, the Abridged Letter of Offer, Application Form and communication and advertisements issued by or on behalf of the Company in relation to the Issue stand amended to the extent of and should be read with the above.

All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated July 7, 2020, read with this corrigendum (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**) filed with the Stock Exchanges, and SEBI.

For **Shriram Transport Finance Company Limited**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Vivek Madhukar Achwal
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Chennai